9 सितंबर, 2011 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 48वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 48.1 : **विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव**

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजी आर*	आवेदन की स्थिति
i.	मैसर्स प्लैनेट एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड	राजायापेट, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश	पेट्रोलियम और तेल एवं गैस उद्योग	108	नहीं	हां	नया
(ii)	मैसर्स इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड	पादुर, कर्नाटक	एफटीडब्ल्यूजेड	41.20	हां	हां	नया
iii.	मैसर्स भुवन कम्फर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	बी एम कवल एवं रचनामाडू गांव, केंगेरी होबली, बंगलौर, कर्नाटक	इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर सहित आईटी / आईटीईएस	12.4	हां	हां	विकास आयुक्त, सीएसईजेड के अनुरोध पर 31 मई, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था। इसलिए विकास आयुक्त ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

***राज्य सरकार की सिफारिश**

मद संख्या 48.2 : **सह विकासक के लिए अनुरोध**

(i) मैसर्स फिनिक्स इंफो सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स हैदराबाद इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

22 मार्च 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड के अंग के रूप में टावर एच01ए और एच08 के प्रचालन एवं अनुरक्षण के साथ अपेक्षित इंटीरियर, अवसंरचना में निवेश एवं विकास के लिए 1.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स हैदराबाद इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थिगत कर दिया गया। अनुमोदन बोर्ड का निर्णय निम्नानुसार था :

''राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि विकासक एवं सह विकासक के बीच पट्टा करार की अवधि 99 साल है। इसके अलावा सह विकासक द्वारा विकासक को 174 करोड़ रुपए के एकबारगी भुगतान का प्रावधान है। राजस्व विभाग ने यह भी विरोध किया कि सह विकासक बैंक के पक्ष में लियन, प्रभार या गिरवी का सृजन करने के लिए भी हकदार है। राजस्व विभाग ने विरोध किया कि यह सब भूमि की बिक्री / हस्तांतरण का द्योतक है जो एसईजेड नियमावली में अनुमत नहीं है। विकास आयुक्त ने बताया कि आवेदक ने पट्टा की

अवधि घटाकर 33 साल करने के लिए लिखित रूप में अपनी इच्छा जाहिर की है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, वीएसईजेड को उठाए गए मुद्दों का निराकरण करने तथा संशोधित पट्टा विलेख प्रस्तुत करने के लिए सह विकासक को सलाह देने का निदेश दिया।''

अनुमोदन बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में संशोधित सह विकासक करार दिनांक 28 जुलाई 2011 तथा संशोधित प्रारूप पट्टा विलेख प्रस्तुत किया गया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि दोनों करारों में पट्टा की अवधि 99 वर्ष से बदलकर 33 वर्ष कर दी गई है और अब 174 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान के स्थान पर प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपए की दर से पट्टा किराया एकत्र किया जाएगा (सह विकासक करार का खंड संख्या 3)। विकास आयुक्त ने यह भी बताया है कि बैंक के पक्ष में लियन, प्रभार या गिरवी पर आपत्ति का निराकरण संगत खंड को संशोधित करके किया गया है (प्रारूप पट्टा करार का खंड 8.1)। इसके अलावा पट्टा विलेख में एक शर्त यह भी रखी गई है कि सह विकासक द्वारा ऐसी किसी गिरवी की स्थिति में विकास आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए विकास आयुक्त ने बताया है कि विकासक द्वारा प्रस्तुत0 संशोधित सह विकासक करार प्रारूप पट्टा विलेख एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत आवश्यकता का पालन करते हैं। संशोधित सह विकासक करार एवं प्रारूप पट्टा विलेख की प्रति अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(ii) राचेनहल्ली एवं नगवारा गांव, होबली, आउटर रिंग रोड, जिला बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स स्टाइलस कामर्सियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सह विकासक करार दिनांक 28 अप्रैल 2011 के अनुसार विकासक से पट्टा पर लिए गए लगभग 21696 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र का विकास करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में विकासक बनने के लिए मैसर्स स्टाइलस कामर्सियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर 22 जुलाई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक द्वारा किए जा रहे विकास की प्रकृति तथा इस बारे में भी विकास आयुक्त, सीएसईजेड से रिपोर्ट मांगी थी कि क्या वे एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली से संगत हैं।

अब इस मामले में विकास आयुक्त, सीएसईजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। विकास आयुक्त ने बताया है कि सह विकासक इंटीरियर और फिट आउट का कार्य करने के बाद छोटे उद्यमियों को स्थान उप पट्टा पर देगा। सह विकासक की भूमिका भावी लघु एवं मध्यम उद्यमियों (एसईजेड यूनिटों) को पट्टा पर देने से पूर्व कार्यालय स्थान तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं को फर्निश करने के लिए निर्मित क्षेत्र का विकास करने तक सीमित है। इससे इस विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 46 की मूल भावना का अनुपालन करने में भी विकासक को मदद मिलेगी जिसमें आईटी / आईटीईएस एसईजेड सहित सभी एसईजेड को एसईजेड में एसएसआई यूनिटों की स्थापना में सुगमता प्रदान करने की सलाह दी गई है। सह विकासक ने यह भी सूचित किया है कि वे एसईजेड यूनिट के रूप में प्रचालन नहीं करना चाहते हैं। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि पट्टा करार की अवधि जो 5 साल के लिए थी, बढ़ाकर 10 साल के लिए कर दी गई है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए

विकास आयुक्त, वीएसईजेड में यह कहते हुए प्रस्ताव की सिफारिश की है कि प्रस्ताव एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली से संगत है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(iii) वागरा, जिला भडूच गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय का अनुरोध

25 मई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में कौशल विकास केन्द्र, उद्योग उन्मुख अनुसंधान केन्द्र तथा पेट्रोलियम एवं पेट्रोरसायन उद्योग सहित अन्य ऊर्जा क्षेत्र को शामिल करते हुए मानव संसाधन विकास के लिए सुविधाओं का विकास करने के लिए दाहेज एसईजेड में 5 एकड़ के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय (पीडीपीयू) के अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। अनुमोदन बोर्ड का निर्णय निम्नानुसार था :

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उक्त विश्वविद्यालय का स्वामित्व निजी हाथों में है और इस बात का कोई पर्याप्त औचित्य नहीं है कि क्यों पीडीपीयू एसईजेड के अंदर सेंटर स्थापित करना चाहता है। तद्नुसार राजस्व विभाग ने सिफारिश की कि इस प्रस्ताव को अनुमत नहीं किया जा सकता है। विकास आयुक्त, केएसईजेड से उक्त प्रस्ताव के लिए पूर्ण औचित्य प्रदान करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

इस मामले में विकास आयुक्त, केएएसईजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा अनुबंध 2 के रूप में संलग्न है। विकास आयुक्त ने अन्य बातों के साथ सूचित किया है कि एसईजेड गुजरात के दूरदराज के स्थान में स्थित है जहां तकनीकी संस्थान का निकटतम स्थान वड़ोदरा है जो यहां से 150 किलोमीटर दूर है। ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में कुशल जनशक्ति प्राप्त करना कठिन है और कोई भी प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान यहां अपनी सुविधा स्थापित करने का साहस नहीं करेगा। इसके अलावा पीडीपीयू को गुजरात सरकार का समर्थन प्राप्त है तथा उन्होंने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। इसलिए विकास आयुक्त ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तदनुसार, प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iv) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अर्थ बिल्डर्स एलएलपी का अनुरोध

10.006754 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स अर्थ बिल्डर्स एलएलपी ने उपर्युक्त एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 0.436921 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लगभग 3 लाख वर्गफीट के एक टावर का निर्माण करके अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 22 जुलाई, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि विकासक तथा प्रस्तावित सह विकासक के बीच करार के वित्तीय ब्यौरों के बारे में अनुमोदन बोर्ड को सूचित नहीं किया गया है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद

विकास आयुक्त, एनएसईजेड के माध्यम से ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने तक प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया।''

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक तथा सह विकासक के बीच करार के वित्तीय ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं (अनुबंध 3)।

तदनुसार, प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(v) गंगैकोंडन गांव, तिरुनेवेली जिला, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सिंटेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

40.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 8 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया था। 31 मई, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को पहले से अधिसूचित एसईजेड में 76.893 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके करने के अनुरोध को अनुमोदन प्रदान किया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 117.37 हेक्टेयर हो गया। अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। मैसर्स सिंटेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने 100 एकड़ के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के प्रचालन एवं अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ पर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया जाने वाला प्रारूप सह विकासक करार भी उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध इस तथ्य के साथ अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है कि सह विकासक द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को एसईजेड के अंग के रूप में अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

(vi) मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स विल्लावरयार एंड संस का अनुरोध

119.145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स विल्लावरयार एंड संस ने अपेक्षित सुविधाओं जैसे कि कंटेनर यार्ड, पार्किंग एरिया, वेयरहाउस स्पेस के साथ 1 एकड़ के क्षेत्रफल में वेयरहाउसिंग जोन स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 01 अगस्त, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

119.145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 5000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला सुविधा स्थापित

करने तथा खाद्य परीक्षण एवं प्रमाणन सेवा प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 17 जून 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स बेसिक्स एकाडेमी फॉर बिल्डिंग लाइफलांग एंप्लायबिलिटी (बी-एबल) का अनुरोध

119.145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स बेसिक्स एकाडेमी फॉर बिल्डिंग लाइफलांग एंप्लायबिलिटी (बी-एबल) ने 2000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 20 जून 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) विशाखापट्टनम जिला, तमिलनाडु में एल्युमीनियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एनार्क एल्युमीनियम लिमिटेड का अनुरोध

755.65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का का नाम	यूनिटों की संख्या		यथालागू एफएसआई मानदंडों के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	यूनिट का कुल क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(i)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	"ए" टाइप क्वॉटर (ग्राउंड + 2)	(6x18)	108	122	13176	82886
2.	"ए" टाइप क्वॉटर (ग्राउंड + 2)	(9x18)	162	107	17334	
3.	क्लब हाउस (ग्राउंड +1)	(1x2)	2	56	112	
4.	गेस्ट हाउस (ग्राउंड +1)	(1x2)	2	389	778	
5.	एचओडी क्वॉटर	(7x2)	14	240	3360	

	(ग्राउंड +1)					
6.	स्कूल एवं खेल का मैदान	(1x1)	1	17910	17910	
7.	स्वीमिंग पूल	(1x1)	1	180	180	
8.	चारदीवारी (कुल : 906 आरटीएमआर)	(1x1)	1	453	453	
9.	शेड	(296x1)	296	98	29008	
10.	फेंसिंग (कुल : 2300 आरटीएमआर)	(1x1)	1	575	575	

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि एसईजेड कार्यान्वयन के उन्नत चरण पर है तथा विकासक अब तक 1974.39 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है। इसके अलावा विकासक ने बताया है कि स्टाफ के सदस्यों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आवास की भारी किल्लत है। सूचित किया गया है कि आज तक कि स्थिति के अनुसार उनकी अपनी कंपनी के लगभग 200 स्टाफ तथा 10000 संविदा श्रमिक साइट पर काम कर रहे हैं। इन मजदूरों के अलावा लंपसम टर्नकी (एलएसटीके) के प्रमुख पैकेज ठेकेदारों के निर्माण इंजीनियर भी हैं। अधिष्ठापन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की संख्या और बढ़ाने की योजना है। इसलिए उपर्युक्त अधिकृत प्रचालन उचित हैं।

विकास आयुक्त ने यह भी बताया है कि विकासक का अनुरोध आवासीय गतिविधि की श्रेणी में आता है और गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना विकास के लिए मानदंडों के संबंध में अनुदेश संख्या 30 के अनुपालन में है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इफको किसान एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

1023.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 19 अप्रैल, 2010 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालन के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का का नाम	यूनिटों की संख्या	क्षेत्रफल प्रति यूनिट	कुल क्षेत्रफल
1.	एकीकृत डेयरी परियोजना	1	225 एकड़	225 एकड़

22 जुलाई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया और अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, वीएसईजेड को प्रस्तावित व्यवसाय माडल के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करने का निदेश दिया। अब इस मामले में विकास आयुक्त, वीएसईजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा अनुबंध 4 के रूप में संलग्न है।

तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत है।

(iii) तालुक शिरपुर एवं खेड़, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स खेड़ इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 16 जून, 2010 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालन के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का का नाम	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)
(i)	(2)	(3)
1.	आवासीय	
	(क) मजदूर हॉस्टल – 160 यूनिटें	18000
	(ख) स्टूडियो अपार्टमेंट - 1 बिल्डिंग - 320 यूनिटें	8600
	(ग) 1 बीएचके अपार्टमेंट - 1 बिल्डिंग - 160 यूनिटें	7000
	(घ) 2 बीएचके अपार्टमेंट - 1 बिल्डिंग - 320 यूनिटें	27000
	(ङ) 3 बीएचके अपार्टमेंट - 1 बिल्डिंग - 320 यूनिटें	51500
	कुल	112100
2.	वाणिज्यिक	
	(क) मजदूर कैंटीन और क्लब	2000
	(ख) रिटेल मार्केट	1000
	कुल	3000

विकासक आयुक्त ने सूचित किया है कि अनुदेश संख्या 30 के अनुसार उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों के संबंध में अधिकतम अनुमत मात्रा इस प्रकार है : -

(i) आवासीय = 2500000 वर्गमीटर (50 प्रतिशत)

(ii) वाणिज्यिक = 1250000 वर्गमीटर (50 प्रतिशत)

चूंकि विकासक द्वारा अनुरोध की गई मात्रा निर्धारित सीमा के बिलकुल अंदर है इसलिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) मैसर्स मंगलौर एसईजेड लिमिटेड द्वारा बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल तथा पेट्रोलियम के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) का अनुरोध

620.74 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड 1.50 मिलियन मीट्रिक टन स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल के भंडारण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक है। सह विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल / क्षमता
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अनलाइंड रॉक कैवर्न में स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल का भूमिगत भंडारण (जिसमें भूमिगत रॉक कैवर्न का निर्माण तथा भूतल से ऊपर प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना शामिल है)	1	4,23,705.80 (104.7 एकड़)	क्षमता 1.5 मिलियन मीट्रिक टन

अनुरोध को 22 जुलाई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के समक्ष रखा गया था तथा आस्थगित कर दिया गया और विकास आयुक्त, सीएसईजेड से रिपोर्ट मांगी गई जिसमें इस बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा गया कि क्या सह विकासक द्वारा स्थापित करने के लिए प्रस्तावित क्रूड ऑयल भंडारण सुविधा का उसकी एसईजेड गतिविधियों से सीधा संबंध है। अब विकास आयुक्त, सीएसईजेड से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि विकासक द्वारा चिह्नित एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक भूमिगत वेयरहाउसिंग सुविधा स्थापित करना चाहता है तथा संभावित यूनिटें मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) तथा पश्चिमी तट पर स्थित अन्य रिफाइनरीज को क्रूड ऑयल की आपूर्ति करेंगी। संभावित यूनिटें एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 53 (च) के तहत एनएफई बाध्यता का पालन करेंगी। इस प्रकार सह विकासक द्वारा स्थापित करने के लिए प्रस्तावित भूमिगत भंडारण सुविधा जिसके लिए अधिकृत प्रचालन के रूप में अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन की मांग की गई है, का उसकी एसईजेड गतिविधियों से सीधा संबंध है। इसके अलावा सुविधा राष्ट्र हित में स्थापित की जा रही है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड जिसे 31 मई 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी, में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध

607.870 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। 31 मई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को सारणी में प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी तथा यह शर्त रखी गई थी कि विकास आयुक्त प्रमाणित करेंगे कि अधिकृत प्रचालन एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र से उत्पन्न आवश्यकता के अनुपात में हैं :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा		अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
		यूनिटों की संख्या	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**फेंडर, बोलार्ड क्रेन रेल के साथ शोर के समानांतर कंटेनर बर्थ**	**3**	**73525**	**73525**
2.	**कंटेनर फ्रेट स्टेशन**	**1**	**102000**	**102000**
3.	**ओपन स्टाक यार्ड**	**1**	**180000**	**180000**
4.	**कार स्टाक यार्ड**	**1**	**30000**	**30000**
5.	**अन्य बर्थ**	**2**	**50000**	**50000**
6.	**गेट कम्प्लेक्स एंट्री एवं एग्जिट**	**1**	**3000**	**3000**
7.	**शोर प्रोटेक्शन बंड**	**1**	**12500**	**12500**
8.	**ब्रेकवाटर और बर्थ के बीच कनेक्टिंग प्लेटफार्म**	**1**	**2000**	**2000**
9.	**कंट्रोल टावर, पंप हाउस, टिपिकल सिक्योरिटी, पीएंडएम वर्कशाप के लिए यूटिलिटी बिल्डिंग**	**7**	**7150**	**7150**
10.	**अन्य यूटिलिटी - ईंधन का सब स्टेशन, क्वे, रिसीविंग यार्ड तथा वर्कशाप पार्किंग बे, तुला सेतु, पार्किंग एरिया, वाटर टैंक और वाशिंग एरिया**	**9**	**26,000**	**26,000**
11.	**आंतरिक संपर्क के लिए सुविधाएं (किलोमीटर में)**	**1**	**30 किलोमीटर**	**30 किलोमीटर**

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सूचित किया है कि अब विकासक ने यह कहते हुए अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान की गई मंजूरी को संशोधित करने के लिए अनुरोध किया है कि अधिकृत प्रचालन गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में, न कि प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित किए जाएंगे क्योंकि अनुदेश संख्या 26 के अनुसार पोर्ट एरिया को गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया है। विकास आयुक्त, डीसी ने अनुरोध की सिफारिश की है।

प्रसंस्करण क्षेत्र के स्थान पर गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10.006754 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। 22 जुलाई, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक के निम्नलिखित अनुरोध पर विचार किया गया : तथापि, अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया क्योंकि अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित मकानों की श्रेणी के बारे में ब्यौरा प्रदान नहीं किया है। साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या विकासक के प्रस्ताव के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रस्तावित अवसंरचना के सृजन के लिए पर्याप्त औचित्य है। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ उपर्युक्त मुद्दों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया। अब इस मामले में विकास आयुक्त, एनएसईजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। औचित्य के साथ गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुरोध की गई गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	औचित्य
1	2	3	4	5
1	आवासीय गतिविधि			एसईजेड में काम करने वाले स्टाफ तथा उनके परिवार के सदस्यों के ठहरने के लिए अपेक्षित है। एसईजेड में आने वाली यूनिटों की आवश्यकता के अनुसार विकसित किया जाएगा।
	(i) स्टूडियो अपार्टमेंट	400 (प्रत्येक 45 वर्गमीटर)	18000	
	(ii) सर्विस अपार्टमेंट	200 (प्रत्येक 60 वर्गमीटर)	12000	
2.	वाणिज्यिक गतिविधि: वाणिज्यिक गतिविधियां जैसे कि फूड कोर्ट, सर्विस अपार्टमेंट, अतिथिगृह तथा अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां जो अनुदेश संख्या 30 के अनुसार एसईजेड में अनुमत हैं	लागू नहीं	12660	एसईजेड के स्टाफ तथा एसईजेड में उनकी विभिन्न आवश्यकता के लिए अपेक्षित है।
3.	सुविधाएं : छोटे बच्चों के लिए क्रेच, बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल, आईटी / आईटीईएस व्यावसायिक संस्थान, इंडोर गेम्स, योग तनाव प्रबंधन केन्द्र, निवारक स्वाथ्य देखरेख केन्द्र, सम्मेलन के लिए ऑडिटोरियम आदि, मिनी हॉस्पिटल, स्वीमिंग पूल, पार्किंग तथा वित्तीय सेवाएं।	लागू नहीं	21100	एसईजेड के स्टाफ के परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए अपेक्षित है तथा एसईजेड में आने वाली यूनिटों की आवश्यकता के अनुसार बाल सुविधा का विकास किया जाएगा।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(vii) टीपी-1, राय, सोनीपत, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अनंत राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 1 सितंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। 15 जनवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को अन्य बातों के साथ गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 6826.55 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में रिटेल स्पेस तथा यूटिलिटीज जैसे कि टेलीफोन कियोस्क, फूड कियोस्क आदि के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने उपर्युक्त क्षेत्र में बैंक शाखा स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। चूंकि रिटेल स्पेस और यूटिलिटीज के तहत अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन में बैंक शाखा के प्रावधान का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, इसलिए विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध को अग्रेषित किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(viii) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

गुड़गांव, हरियाणा में 19.3037 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड अधिसूचित हो गया था। 22 नवंबर 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक के निम्नलिखित अनुरोध पर विचार किया गया : कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक को आवास / सर्विस अपार्टमेंट सहित कुछ अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा सूचित किया गया कि विकासक ने 105467 वर्गमीटर के अतिरिक्त एफएआर के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त द्वारा सिफारिश की गई कि विकासक सबसे पहले अनुमोदित एफएआर का उपयोग करे और फिर अतिरिक्त एफएआर के लिए आवेदन करे। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त की सिफारिश को स्वीकार किया तथा विकासक के अनुरोध को अनुमोदित नहीं किया।"

विकासक ने विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। तद्नुसार विकास आयुक्त, एनएसईजेड से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30 अगस्त 2011 (अनुबंध 5) के माध्यम से ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए 105467 वर्गमीटर के अतिरिक्त एफएआर के अनुमोदन के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है, जिसके लिए विकासक द्वारा मास्टर प्लान के प्रयोजनार्थ और अधिकृत प्रचालनों अर्थात 25 मेगावाट (22 मेगावाट प्रसंस्करण क्षेत्र में और 3 मेगावाट गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में) से विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित) का आकार बढ़ाकर 42 मेगावाट (26 मेगावाट प्रसंस्करण क्षेत्र में और 16 मेगावाट गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में) करने के

लिए अनुरोध किया गया है तथा यह शर्त रखी है कि अतिरिक्त एफएआर के निर्माण की अनुमति अनुमोदन बोर्ड द्वारा पहले अनुमोदित मात्रा के समाप्त होने / उपयोग होने के बाद प्रदान की जाएगी। एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुमोदन के लिए निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों की सिफारिश की गई है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	एफएसआई / एफएआर के साथ क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	ग्राउंड कवरेज (वर्गमीटर में)	विशिष्ट गतिविधि के लिए विकासक की कुल पात्रता (अनुदेश संख्या 30 के अनुसार)		पत्र दिनांक 30 मई 2008 के माध्यम से अनुमोदन बोर्ड द्वारा संस्वीकृत मात्रा	एफएआर के साथ मांगा गया अतिरिक्त क्षेत्रफल
1.	**आवासीय**						
	आवासन और/या सर्विस अपार्टमेंट	**86934**	**49677**	**30000**		**26467**	**60467**
2.	**वाणिज्यिक**						
	(क) कार्यालय स्थान	**30000**		**7500**		**10000**	**20000**
	(ख) एनपीजेड में आईटी एवं प्रशिक्षण स्थान	**45000**	**38470**			**20000**	**25000**
	(ग) शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल	**5822**			**एफएआर / एफएसआई स्थानीय नगर आयोजना के मानदंडों के अनुसार लागू होगा**	**5822**	**---**
3.	**सुविधाएं**						
	(क) पोलीक्निनिक / डायग्नोस्टिक सेंटर	**2400**	**4001**	**12500**		**2400**	**---**
	(ख) जिम, आयुर्वेदिक थिरेपी सेंटर तथा डे केयर सेंटर0	**1600**				**1600**	**---**
	(ग) क्रेच, क्लब हाउस सह मनोरंजन केन्द्र तथा इंडोर स्पोर्ट्स की सुविधा	**2500**				**2500**	**---**
	(घ) कैफेटेरिया सहित फूड सर्विस, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट आदि	**500**				**500**	**---**
	(ङ) प्रशासनिक ब्लॉक (गैर एफएआर)	**2000**				**1161**	**---**
	(च) ऊर्जा केन्द्र (गैर एफएआर)	**4390**				**4390**	**---**
	कुल (गैर एफएआर को छोड़कर)	**174756**	**92148**	**50000**		**69289**	**105467**

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ix) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

21.59023 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। 22 जुलाई, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आवासीय / वाणिज्यिक / सामाजिक गतिविधियों से संबंधित अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक के अनुरोध पर विचार किया गया। तथापि अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया।

तथापि, अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया क्योंकि अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित मकानों की श्रेणी के बारे में ब्यौरा प्रदान नहीं किया है। यह भी पाया गया कि विकासक के प्रस्ताव के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रस्तावित अवसंरचना के सृजन के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड को अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ उपर्युक्त मुद्दों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

अब इस मामले में विकास आयुक्त, एनएसईजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा अनुबंध 6 के रूप में संलग्न है। रिपोर्ट के अनुसार विकासक ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें निम्नलिखित के लिए अनुमोदन की परिकल्पना है :

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	अनुमत	अनुमत्य	चरण 1 के लिए अनुरोध	राज्य उपनियमों के अनुसार लागू एफएआर / एफएसआई	पहले चरण में अनुमत एफएआर
1.	आवासीय	60 प्रतिशत	64322.94 वर्गमीटर	30000 वर्गमीटर	1.75	52500 वर्गमीटर
2.	वाणिज्यिक	15 प्रतिशत	16080.73 वर्गमीटर	7500 वर्गमीटर	1.75	13125 वर्गमीटर
3.	सामाजिक	25 प्रतिशत	26801.22 वर्गमीटर	12500 वर्गमीटर	1.00	12500 वर्गमीटर
	कुल		107204.89 वर्गमीटर	50000 वर्गमीटर		

आवासीय गतिविधि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	यूनिटों की कुल संख्या (संख्या)	प्रत्येक यूनिट का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	यूनिट का प्रकार	सभी यूनिटों का कुल कवर्ड एरिया (वर्गमीटर में)

1.	**224**	**74**	**2 बेडरूम**	**16576**
2.	**200**	**91**	**3 बेडरूम**	**18200**
3.	**160**	**108**	**4 बेडरूम**	**17280**
			कुल	**52056**

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.4 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) राजनंदगांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से राजनंदगांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 30 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने औपचारिक मंजूरी को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि सह विकासक (विकासकों) के माध्यम से एसईजेड का विकास करने का प्रस्ताव है। तथापि, प्रत्यक्ष कर संहिता के लागू होने के कारण अवसंरचना विकासकों से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसलिए एमआईडीसी ने परियोजना को रद्द करने का निर्णय लिया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.5 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम मौजे पूनावाले, मुलशी तालुक, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बेंचमार्क रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10.01 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 26 अप्रैल, 2010 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने स्थान के लिए मांग का अभाव, मैट लगाया जाना आदि सहित विभिन्न कारणों से एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी बताया है कि एसईजेड में निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ है और इसलिए कोई ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) जिला अकोला, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कृषि प्रसंस्करण के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 जून, 2008 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि इच्छुक अवसंरचना विकासकों से रिस्पांस न मिलने के कारण परियोजना को लागू नहीं किया जा सकता है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) 10.926512 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम प्रेगनापुर, गजवेल मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स विवो बायोटेक लिमिटेड का अनुरोध

10.926512 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 27 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया था। 08 जून, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को 5.26091 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 16.18742 हेक्टेयर हो गया। तथापि, विकास आयुक्त से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण अतिरिक्त भूमि को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इसलिए अधिसूचित क्षेत्रफल 10.926512 हेक्टेयर के रूप में बना हुआ है। अब विकासक ने यह कहते हुए संपूर्ण एसईजेड क्षेत्र को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि स्थूल आर्थिक मंदी के कारण कंपनी के लिए एसईजेड में नई यूनिटें प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसके अलावा एसईजेड में एक मात्र यूनिट ने एसईजेड से बाहर जाने का विकल्प चुना है और विकास आयुक्त द्वारा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 74 के तहत बाहर निकलने के लिए मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.6 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) साई गांव, पनवेल तालुक, रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड में भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को 68 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। उपर्युक्त एफटीडब्ल्यूजेड 53.635 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में निम्नानुसार अधिसूचित हो गया है :

(क) 4 मई, 2009 को 45.76 हेक्टेयर
(ख) 5 मई, 2010 को 6.985 हेक्टेयर
(ग) 22 जुलाई, 2010 को 0.890 हेक्टेयर

विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में 3.410 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 57.045 हेक्टेयर हो जाएगा जो अभी भी उस क्षेत्रफल से कम है जिसके लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक ने बताया है कि अतिरिक्त क्षेत्रफल

से परियोजना की लाभप्रदता बढ़ेगी। यह भी बताया गया है कि भूमि खाली है, संस्पर्शी है और उस पर विकासक का कब्जा है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

इस मामले में अतिरिक्त भूमि की अधिसूचना के बाद भी अधिसूचित क्षेत्रफल औपचारिक रूप से अनुमोदित क्षेत्रफल से कम बना रहेगा। अनुमोदन बोर्ड से यह भी अनुरोध है कि वे इस बारे में दृष्टिकोण अपनाएं कि क्या ऐसे मामलों को फाइल पर अनुमोदित किया जा सकता है या अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने की आवश्यकता है।

(ii) पुणे लिला, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्यागिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल घटाने के लिए मैसर्स इंटरनेशनल बायोटेक लिमिटेड का अनुरोध

12.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। एसईजेड में स्थान के लिए मांग न होने के कारण अब विकासक ने 2.299 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 10.571 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने सूचित किया है कि विमुक्त करने के लिए प्रस्तावित भूमि के संबंध में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

क्षेत्रफल में कटौती के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) बाचुपल्ली गांव, कुतुबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए मैसर्स मेटास हिल काउंटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

29.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 13 जुलाई, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को 8.64 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने का अनुमोदन भी प्रदान किया था जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 21.23 हेक्टेयर हो गया है। अब विकासक ने बाजार की प्रतिकूल स्थितियों का उल्लेख करते हुए पुन: 8.01 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 13.22 हेक्टेयर हो जाएगा। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने यह कहते हुए प्रस्ताव की सिफारिश की है कि विमुक्तीकरण के बाद भी एसईजेड संस्पर्शी बना रहेगा तथा भूमि की न्यूनतम आवश्यकता पूरी होगी। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि विकासक ने विमुक्त की जा रही भूमि के संबंध में प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभ को वापस कर दिया है।

क्षेत्रफल में कटौती के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) कनायान्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि में वृद्धि के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

53.1809 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 01 मार्च, 2011 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में 46.3773 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया

है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 99.5582 हेक्टेयर हो जाएगा। 22 जुलाई, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

''अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मौजूदा एसईजेड में शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूखंड एक जलपिंड द्वारा एसईजेड से अलग हो रहा है। अनुमोदन बोर्ड को अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व प्रस्तावित विस्तृत एसईजेड में सन्निकटता स्थापित करने की विशिष्ट योजना पर विचार करना होगा। यह योजना सभी सांविधिक, पर्यावरणीय तथा अन्य आवश्यकताओं और राज्य सरकार / अन्य संस्थाओं से अनुमोदन के अनुपालन में तैयार करनी होगी। विकास आयुक्त, कोचीन एसईजेड सहित क्षेत्राधिकारीय मुख्य आयुक्त (सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क) को जांच के लिए योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तथा अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अनुमोदन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में सन्निकटता स्थापित करने के लिए संभावित रूप से होने वाले व्यय का अनुमान शामिल करना होगा। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि सन्निकटता स्थापित करने के लिए किए गए व्यय के लिए कोई ड्यूटी लाभ अनुमत नहीं होगा। अनुमोदन बोर्ड ने अगली बैठक के लिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा आवेदक को शीघ्रता से योजना प्रस्तुत करने की सलाह दी ताकि मामले पर विचार किया जा सके।''

सन्निकटता स्थापित करने के लिए विकासक ने विकास आयुक्त को मास्टर प्लान प्रस्तुत किया है। मास्टर प्लान के अनुसार पुलों के माध्यम से सन्निकटता स्थापित की जानी है तथा पुलों की अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपए है जिसे परियोजना लागत में शामिल किया गया है। विकासक ने सेटलाइट पिक्चर में चिह्नित करते हुए प्रस्तावित पुलों और उनके लोकेशन की ड्राइंग तथा इमेज भी संलग्न की है। विकासक ने बताया है कि उपर्युक्त के अनुसार सन्निकटता स्थापित होने तक 3 क्षेत्रों को आवश्यकता के अनुसार चारदीवारी / फेंसिंग के माध्यम से स्वतंत्र रूप से संरक्षित किया जाएगा तथा तीनों क्षेत्र स्वतंत्र संरक्षित क्षेत्र के रूप में प्रचालन करेंगे और राजस्व के रिसाव की कोई संभावना नहीं होगी। विकासक के पत्र दिनांक 25 अगस्त 2011 की प्रति के साथ विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 7 के रूप में संलग्न है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.7 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 24 **परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कैपस्टोन डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

(ii**) गांव सेहसोला, तहसील टओरू, जिला नूह, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स प्रिमरोज बिल्डवर्थ प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

(iii) **ग्राम उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

(iv) **ग्राम उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

(v) **नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 सितंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

(vi) **तालुक शिरपुर एवं खेड़, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्य एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 01 जनवरी, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स खेड़ इकोनॉकिम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

(vii) **सेक्टर 143ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डीएलएफ कॉमर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध**

(viii) **शोलिंगानल्लूर गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डीएसआरके होल्डिंग (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

(ix) **रहाका और निमोठ गांव, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए 15.0877 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मयार इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

(x) **रहाका और निमोठ गांव, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए 25.7177 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मयार इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

(xi) **गुड़गांव, हरियाणा में बायोटेक के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बेस्ट ऑन हेल्थ लिमिटेड का अनुरोध**

(xii) **विलायत गांव, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में तेल एवं गैस जिसमें उसके डेरिवेटिव्स (पेट्रो रसायन) शामिल हैं, के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 फरवरी, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात हाइड्रोकार्बन एंड पावर एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध**

(xiii) **काडुगोंडी औद्योगिक क्षेत्र, काडुगोंडी बागान गांव, बिदरहल्ली होबली, बंगलौर पूर्व तालुक, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कॉनकोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

(xiv) **देवनहल्ली, बंगलौर, कर्नाटक में एयरपोर्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 28 सितंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध**

मद संख्या 48.8 : औपचारिक अनुमोदन की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध

(i) वेरना, गोवा में जैव प्रौद्यागिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 **जून**, 2010 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इनोक्स मर्कैंटाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को एलओए दिनांक 19 जून, 2007 के माध्यम से 48.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 19 जून, 2010 को समाप्त हो गई है। अब विकासक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है तथा वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध करने में विलंब के किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। तथापि, विकासक ने कहा है कि गोवा सरकार ने अपनी एसईजेड नीति को वापस लेने का दावा किया तथा एसईजेड के लिए भूमि के आवंटन को निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए गोवा में माननीय बांबे उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26 नवंबर 2010 को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल किया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला अभी भी लंबित है। इसके अलावा भूमि में 4.89 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। इस मामले में अनुमोदन बोर्ड को 18 जून, 2010 से दो साल के लिए अवधि बढ़ाने पर विचार करना है।

(ii) वेरना, गोवा में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 **जून**, 2010 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लैनेटव्यू मर्कैंटाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को एलओए दिनांक 27 जून, 2007 के माध्यम से 13.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2010 को समाप्त हो गई है। अब विकासक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है तथा वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध करने में विलंब के किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। तथापि, विकासक ने कहा है कि गोवा सरकार ने अपनी एसईजेड नीति को वापस लेने का दावा किया तथा एसईजेड के लिए भूमि के आवंटन को निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए गोवा में माननीय बांबे उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26 नवंबर 2010 को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल किया है तथा माननीय

उच्चतम न्यायालय में मामला अभी भी लंबित है। इसके अलावा भूमि में 14.27 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। इस मामले में अनुमोदन बोर्ड को 26 जून, 2010 से दो साल के लिए अवधि बढ़ाने पर विचार करना है।

मद संख्या 48.9 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) होसुर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से 70.085 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 70.010 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 4 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि एसईजेड के जून 2012 तक क्रियाशील हो जाने की संभावना है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) गुड़गांव-फरीदाबाद रोड, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 19.3037 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। यह भी सूचित किया गया है कि अगस्त / सितंबर 2011 तक इंटीरियर वर्क के पूरा हो जाने के बाद पहली यूनिट प्रचालन शुरू कर सकती है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 दिसंबर, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 17 दिसंबर, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.319 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 30 सितंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 16 दिसंबर, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि पहले चरण के मार्च / अप्रैल तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। इसके अलावा परियोजना के लिए भूमि एवं भवन में 128.71 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) तालुक पनवेल, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 अक्टूबर, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 139.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 19 फरवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 14 अक्टूबर, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां आरंभ होने के साथ सड़क कार्य, प्रशासनिक ब्लाक, साइट तैयारी, विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है। विकासक ने बताया है कि लेआउट / बिल्डिंग प्लान के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब के कारण वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) ग्राम हामीपुर, खेटावास, सैदपुर एवं वजीरपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 09 अगस्त, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स रहेजा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 10 अगस्त, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 103.0154 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 10 मार्च, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 9 अगस्त, 2011 तक वैध है। विकासक ने सूचित किया है कि प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र का सीमांकन किया गया है, एसईजेड के विपणन का कार्य चल रहा है, अनुमोदन के लिए मास्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है तथा राज्य सरकार से एसईजेड के लिए अक्सेस प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) ग्राम कर्कापटला, मंडल मुलुगू जिला मेडक, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 अगस्त, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 22 अगस्त, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस विभाग में एसईजेड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 21 अगस्त, 2011 तक वैध है। विकासक ने सूचित किया है कि वाहन विलेख निष्पादित किया गया है, एसईजेड के लिए मास्टर प्लान / लेआउट प्लान नक्शा संस्वीकृति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, साइट की बैरिकेडिंग कर ली गई है। इसके अलावा एसईजेड की अधिसूचना के अभाव में लेआउट प्लान संस्वीकृत नहीं हो सका, इसलिए साइट पर कोई विकास कार्य नहीं हो सका। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vii) सोलंकुरिनी गांव, मदुरै तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रूद्रदेव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 31.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि विश्व व्यापी मंदी के कारण परियोजना विलंबित हुई है जिसके कारण कंपनी परियोजना को पूरा करने के लिए बैंक वित्त पोषण प्राप्त नहीं कर सकी। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(viii) जम्बूसर, जिला भड़ूच गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 सितंबर, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग एसईजेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 1263.0017 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 फरवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 30 सितंबर, 2011 तक वैध है। विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड ने यह कहते हुए अनुरोध की सिफारिश की है कि विकासक तथा यूनिटों ने 1192.31 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा 1139 व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि 2012 की पहली तिमाही में एसईजेड के क्रियाशील हो जाने की उम्मीद है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.10 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इंटरनेशनल बायोटेक पार्क का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 13 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 12.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 24 अक्टूबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने बताया है कि प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता के तहत एसईजेड के लिए भावी लाभों की अनिश्चितता के कारण उन्होंने निर्माण कार्य तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए के कार्य को रोक दिया था। इसके अलावा वैश्विक एफएसआई तथा अलग रखने के लिए अपेक्षित अनिवार्य खुला स्थान के प्रतिशत के संबंध में कुछ भ्रम था जिसके लिए विकासक को विशेष योजना प्राधिकारी (एमआईडीसी) को संशोधित मास्टर प्लान पुन: प्रस्तुत करना है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स डा. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जून, 2006 के माध्यम से 30.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 23.429 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान

किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जून, 2011 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि मार्च 2012 तक प्रचालन के लिए पहले चरण के पूर्ण हो जाने की संभावना है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) सैंकोयले, गोवा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पेनिंसुला फार्मा रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 20.365 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 10 जुलाई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 24 अक्टूबर, 2011 तक वैध थी। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने कहा है कि गोवा सरकार ने अपनी एसईजेड नीति को वापस लेने का दावा किया तथा एसईजेड के लिए भूमि के आवंटन को निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए गोवा में माननीय बांबे उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26 नवंबर 2010 को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल किया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला अभी भी लंबित है। इसके अलावा भूमि में 17.30 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) भूट खांम्ब, केरिम, पोंडा, गोवा में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स मेडिटैब स्पेसियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 23 अगस्त, 2006 के माध्यम से 123.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 123.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 10 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 अगस्त, 2011 तक वैध थी। विकासक ने सूचित किया है कि मामला न्यायालय में होने के कारण आज तक साइट पर विकास कार्य पूरा नहीं हो सका है। इसके अलावा रिट याचिका संख्या 380/208 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26 नवंबर 2010 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी लंबित है। इसलिए विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए

अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) नवाल्लूर गांव, चेंगुलपेट तालुक और सेम्मेंचेरी गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 06 नवंबर, 2006 के माध्यम से 10.57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 16 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 05 नवंबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने यह कहते हुए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है कि विकासक एसईजेड में कार्य की प्रमुख मदों को पूरा कर चुका है तथा परियोजना को लागू करने का इच्छुक है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) त्रिक्काकारा गांव, कनायान्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2006 के माध्यम से 12.141 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 12.141 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 20 अगस्त, 2011 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vii) एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, शेंद्रे औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स वोकहार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 03 नवंबर, 2006 के माध्यम से 107 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 107.06 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 05 नवंबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने बताया है कि अब तक एसईजेड में 221.8 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके अलावा एसईजेड के कार्यान्वयन में विलंब ऐसे कारणों से हुआ है जो उसके नियंत्रण से परे हैं, यूनिट निर्धारित अवधि में क्रियाशील बनाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि विदेशों के विनियामकों से अनुमोदन प्रगति पर है, जिनको उत्पाद का निर्यात किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया है कि निर्यात के लिए यूनिट को विदेशों के विनियामकों से अनुमोदन प्राप्त होते ही उत्पादन शुरू किया जाएगा। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि विकासक ने भारतीय विनियामकों से सभी सांविधिक अनुमोदन एवं लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। विकास आयुक्त ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(viii) भोंड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अगस्त, 2010 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीएचआई फिनलीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अगस्त, 2006 के माध्यम से 10.62 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 12.936 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 3 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 24 अगस्त, 2011 तक वैध थी। विकासक ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियों के कारण परियोजना में विलंब हुआ है जो उसके नियंत्रण से परे हैं। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ix) जुईनगर, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स न्यूफाउंड प्रापर्टीज एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2006 के माध्यम से 21.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 21.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 अगस्त, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 20 अगस्त, 2011 तक वैध थी। विकासक ने एसईजेड में किए गए विकास कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा सूचित किया है कि वैश्विक मंदी तथा वित्तीय क्रेडिट की तंगी के कारण परियोजना के कार्यान्वयन की गति धीमी पड़ गई। विकासक ने यह भी बताया है कि कंपनी एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्सुक है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(x) रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 **जून**, 2011 **के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स क्लैरिज एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध**

विकासक को एलओए दिनांक 27 जून, 2006 के माध्यम से 108 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस विभाग में एसईजेड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 26 जून, 2011 तक वैध थी। विकासक ने बताया है कि उनकी भूमि का एक बड़ा भाग भूमि के अधिग्रहण के लिए इस विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 8 जून 2006 के तहत शामिल है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अधिसूचना दिनांक 19 मई 2009 के माध्यम से उनकी भूमि को अधिग्रहण सूची से बाहर कर दिया। उन्होंने बताया है कि एमआईडीसी से एनओसी प्राप्त करना महाराष्ट्र काश्तकारी एवं कृषि भूमि अधिनियम के तहत अनुमति प्राप्त करने में विलंब का मुख्य कारण बना। उन्होंने यह भी बताया है कि अप्रैल 2010 से उन्होंने भूमि के हस्तानंतरण, एसईजेड की अधिसूचना के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत करने, कंपनी का नाम बदलने तथा प्रस्तावित एसईजेड की सन्निकटता, संपर्क एवं अक्सेस सुनिश्चित करने के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में विभिन्न कदम उठाए हैं। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xi) ग्राम चंगी, तालुक उरान, जिला रायगड़, महाराष्ट में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूज़ेड) स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 **अक्टूबर**, 2011 **के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स करंजा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

एलओए दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 40.02.08 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूज़ेड 18 अगस्त, 2010 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 30 अक्टूबर, 2011

तक वैध थी। विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि डीटीसी से समय समय पर यथासंशोधित एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के तहत यूनिटों / सह विकासकों / विकासक को प्रदान की जाने वाली कर छूट के संबंध में गंभीर आपत्तियां उत्पन्न हुई हैं। इस धूसर क्षेत्र को साहूकारों द्वारा उदारतापूर्वक नहीं लिया गया है जिसकी वजह से वित्तीय बंदी में विलंब हुआ। इसलिए कंपनी विशिष्ट कट ऑफ तिथियों के साथ प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक के माध्यम से एसईजेड के लिए कर लाभों पर सिलिंग के बारे में स्पष्ट अधिदेश प्राप्त हो जाने के बाद पुन: ठोस कार्रवाई शुरू करना चाहती है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.11 : चौथे साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स लिमिटेड	बहु उत्पाद, 3487.076 हेक्टेयर	सुरार तहसील, छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश	एलओए दिनांक 30 जुलाई, 2007 के माध्यम से 2000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद 22 सितंबर, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित क्षेत्रफल में 1487.076 हेक्टेयर की वृद्धि करके करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 3487.076 हेक्टेयर हो गया। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 30 जुलाई, 2011 तक वैध थी। विकासक ने अब वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने सूचित किया है कि कंपनी ने 1900 हेक्टेयर का अधिग्रहण कर लिया है। यह भी सूचित किया गया है कि प्रमुख बाधा आदिवासी भूमि के अधिग्रहण से संबंधित थी जिसे अप्रैल 2011 में मध्य प्रदेश सरकार की शीर्ष समिति द्वारा अंतरण के लिए अनुमोदित किया गया। विकासक ने औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन करने से पूर्व एक साल के अंदर 2100 हेक्टेयर की कुल भूमि को समेकित करने का प्रस्ताव किया है। विकास आयुक्त, आईएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

मद संख्या 48.12 : पांचवे साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

1.	मैसर्स बंगाल श्रेई इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड	आटो कंपोनेंट, 200 हेक्टेयर	खड़गपुर, पश्चिम बंगाल	एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को समय-समय पर विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 21 जून, 2011 तक वैध थी। अब विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि कंपनी 103.1983 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है तथा उम्मीद है कि 9 माह के अंदर भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने परियोजना के लिए अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है।

मद संख्या 48.13 : रेवास, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 2850 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि चौथी बार बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार करने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स रेवास पोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 26 जून, 2007 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को एक-एक साल का तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जून, 2011 तक वैध थी। सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2011 के बाद बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध पर 31 मई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि भविष्य में इस परियोजना के आरंभ होने की संभावना नहीं है क्योंकि विकासक ने परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण शुरू नहीं किया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद 4 साल बीत जाने के बावजूद विकासक भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाया है।"

विकासक ने अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा 25 जून 2011 के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि उन्होंने महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार से 839.1 हेक्टेयर इंटरटाइडल भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। इसके अलावा कंपनी 194 हेक्टेयर भूमि के अंतरण के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ बातचीत कर रही है ताकि बहु उत्पाद एसईजेड के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो सके और औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन किया जा सके। विकासक ने यह भी बताया है कि अब तक परियोजना में 350 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.14 : एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स संड्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (रहेजा माइंडस्पेस एसईजेड) द्वारा माधापुर, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स पारेक्सल इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी एसईजेड द्वारा हैदराबाद में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स पारेक्सल हैदराबाद में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है। यूनिट ने बताया है कि अपने मौजूदा प्रचालनों के लिए कंपनी की काफी विस्तार की योजनाएं हैं और डीएलएफ साइबर सिटी एसईजेड कंपनी को अपनी विस्तार योजनाओं को निष्पादित करने के लिए अनुकूल स्थितियां प्रदान नहीं कर रहा है। इसलिए कंपनी ने अपने प्रचालनों को मैसर्स संड्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (रहेजा माइंडस्पेस एसईजेड) द्वारा माधापुर, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। यूनिट द्वारा प्रस्तावित अंतरण के लिए प्रदान किया गया विस्तृत औचित्य अनुबंध 8 के रूप में संलग्न है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने उत्पादन शुरू कर दिया है तथा अपना निर्यात आरंभ कर दिया है। विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन यूनिट के अनुरोध की सिफारिश की है कि सभी पात्र लाभ केवल मौजूदा एलओए के विरुद्ध उपलब्ध होंगे।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.15 : प्रतिबंधित / निषिद्ध मदों के निर्यात के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स स्टर्लिंग एसईजेड एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा जंबूसर, भड़ूच गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में दालों के प्रसंस्करण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स पुनीत एग्रो इंडस्ट्रीज का प्रस्ताव

1263.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त बहु उत्पाद्य एसईजेड 09 जनवरी, 2008 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स पुनीत एग्रो इंडस्ट्रीज ने दालों के निर्माण तथा पशु आहार के निर्माण, रिजेक्शन, टुकडी एवं छंटाई, रिपैकिंग तथा दालों, बासमती चावल, मसालों तथा ग्रोसरी की वस्तुओं अर्थात पापड़, राइस वैफर, राइस फ्लैक्स, पफ राइस, राइस फ्लोर, ग्राम फ्लोर के व्यापार के लिए उपर्युक्त एसईजेड में प्रसंस्करण करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट के आवेदन को यूनिट अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया था तथा यूनिट अनुमोदन समिति ने बासमती चावल, मसालों तथा ग्रोसरी की वस्तुओं अर्थात पापड़, राइस वैफर, राइस फ्लैक्स, पफ राइस की छंटाई, रिपैकिंग तथा ट्रेडिंग के संबंध में अनुरोध को मंजूरी प्रदान की है।

यूनिट अनुमोदन समिति ने दालों तथा उनके उपोत्पादों के प्रसंस्करण तथा दालों, राइस फ्लोर एवं ग्राम फ्लोर की ट्रेडिंग के संबंध में अनुमोदन के लिए यूनिट के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अग्रेषित करने का निर्णय लिया है।

22 जुलाई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मामले पर विचार किया गया तथा बोर्ड ने मामले को आस्थगित कर दिया और विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड को संभावित यूनिट के पैरामीटरों को स्पष्ट करने का निदेश दिया कि यूनिट को कोई डीटीए लेनदेन करने तथा इस आशय का वचन पत्र प्राप्त करने की भी अनुमति नहीं होगी। अब इस मामले में विकास आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट ने केवल भारत के बाहर से दालों का आयात करने का वचन दिया है तथा डीटीए से खरीदारी नहीं करेगी। इसके अलावा यूनिट ने आयातित कच्चे माल से निर्मित सभी माल का निर्यात करने का भी वचन दिया है। तथापि, विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान सृजित सभी प्रकार के वेस्टेज और रिजेक्शन / उपोत्पाद डीटीए में यूनिट द्वारा विदेश व्यापार नीति तथा एसईजेड अधिनियम 2005 और एसईजेड नियमावली 2006 के प्रावधान के अनुसार हटाए जाएंगे।

तद्नुसार, प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुन: प्रस्तुत है।

(ii) निषिद्ध माल (दाल) के आयात / निर्यात तथा निर्यात के लिए डीटीए से प्रतिबंधित मदों के प्रापण के लिए मैसर्स जैब्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 53.635 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

निषिद्ध माल (दालों) के आयात / निर्यात तथा निर्यात के लिए डीटीए से प्रतिबंधित मदों की खरीद के लिए उपर्युक्त एफटीडब्ल्यूजेड की यूनिट मैसर्स जैब्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर 31 मई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया। बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट बयान नहीं है कि कोई डीटीए लेनदेन नहीं होगा। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अब सूचित किया है कि यूनिट ने अपने अनुरोध पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है तथा निम्नलिखित निवेदन किया है :

(i) **एलओए में शामिल किए जाने वाले उत्पाद जो भारत से निर्यात के लिए प्रतिबंधित / निषिद्ध हैं, का आयात उनके पुन: निर्यात के लिए किया जाएगा।**

(ii) **एलओए में शामिल किए जाने वाले उत्पाद ऐसे हैं जिनका विदेश व्यापार नीति 2009-14 के अनुसार अबाध रूप से आयात किया जा सकता है।**

(iii) **अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एसईजेड यूनिटों को निषिद्ध मदों का निर्यात करने की अनुमति है, यदि इसके लिए कच्चा माल भारत के बाहर से आयात किया जाता है।**

(iv) **मैसर्स प्रकाश ओवरसीज, मैसर्स कोगटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स डाइट फूड्स इंटरनेशनल एवं किचेन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड के मामलों में अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन दालों के प्रसंस्करण के लिए यूनिटें स्थापित करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की थी कि दालों का आयात भारत के बाहर से किया जाएगा तथा विदेश व्यापार नीति में निर्यात पर निषेध जारी रहने तक डीटीए से कोई खरीदारी नहीं की जाएगी।**

(v) **यह प्रस्ताव भारत के बाहर से दालों एवं अन्य उत्पादों के आयात से संबंधित है जो घरेलू बाजार से खरीदे जाने पर निर्यात के लिए अन्यथा निषिद्ध / प्रतिबंधित हैं।**

आयात / निर्यात करने के लिए प्रस्तावित निषिद्ध / प्रतिबंधित मदों की सूची जो विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से प्राप्त हुई है को दर्शाने वाला विस्तृत एजेंडा नोट अनुबंध 9 के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए पुन: प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 53.635 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में दालों के व्यापार के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स हाजी सत्तार हबीब एंड संस का अनुरोध**

दालों के व्यापार के लिए उपर्युक्त एफटीडब्ल्यूजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स हाजी सत्तार हबीब एंड संस के अनुरोध पर 31 मई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया। बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट बयान नहीं है कि कोई डीटीए लेनदेन नहीं होगा। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अब सूचित किया है कि यूनिट ने अपने अनुरोध पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है तथा निम्नलिखित निवेदन किया है :

(i) **भारत से निर्यात के लिए "प्रतिबंधित / निषिद्ध" के रूप में वर्गीकृत उत्पाद का आयात उनके द्वारा यथास्थिति पुन: निर्यात या डीटीए क्यिरेंस के लिए किया जाएगा।**

(ii) **वे डीटीए से "प्रतिबंधित / निषिद्ध" मदों की खरीदारी नहीं करना चाहते हैं।**

(iii) **आयात किए जाने वाले उत्पाद ऐसे हैं जिनका विदेश व्यापार नीति 2009-14 के अनुसार अबाध रूप से आयात किया जा सकता है।**

(iv) **अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के अनुसार, एसईजेड यूनिटों को निषिद्ध मदों का निर्यात करने की अनुमति है, यदि कच्चा माल भारत के बाहर से आयात किया जाता है।**

(v) **उनके प्रस्ताव में भारत के बाहर से दालों और अन्य उत्पादों का आयात करने की परिकल्पना है जो निर्यात के लिए "प्रतिबंधित / निषिद्ध" हैं जब डीटीए से प्राप्त किए जाते हैं, विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों तथा इस विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं है।**

आयात / निर्यात करने के लिए प्रस्तावित निषिद्ध / प्रतिबंधित मदों की सूची जो विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से प्राप्त हुई है को दर्शाने वाला विस्तृत एजेंडा नोट अनुबंध 10 के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए पुन: प्रस्तुत है।

(iv) आईटीसी - **एचएस के शीर्ष संख्या** 0713 **के तहत आने वाली दालों की प्रोसेसिंग के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स एसआरएसएस फूड्स का प्रस्ताव**

मैसर्स एसआरएसएस फूड्स, 2683, नया बाजार ने आईटीसी - एचएस के शीर्ष संख्या 0713 के तहत आने वाली दालों की प्रोसेसिंग के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया था। यूनिट ने दालों का आयात करने तथा उनकी छंटाई करने तथा भूसी अलग करने का प्रस्ताव किया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया है कि प्रस्तावित परियोजना की लागत 185 लाख रुपए है। 7104 लाख रुपए के निवल विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ 14208 लाख रुपए के विदेशी मुद्रा जावक के विरुद्ध 5 साल की अवधि के लिए प्रक्षेपित निर्यात का एफओबी मूल्य 21312 लाख रुपए है।

11 जुलाई 2011 को आयोजित अपनी 46वीं बैठक में कांडला एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक में मैसर्स एसआरएसएस फूड्स के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। चूंकि दालों का निर्यात आईटीसी - एचएस के तहत निषिद्ध है इसलिए विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के पास आवेदन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार, प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.16 : तीसरे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 25 सितंबर 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेघमणि यूनीचेम एलएलपी जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 26 सितंबर, 2008 के माध्यम से दाहेज एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मेघमणि यूनिकेम एलएलपी को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने निर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 25 सितंबर, 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने दो साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने फेंसिंग / चारदीवारी का निर्माण शुरू किया है। इसके अलावा यूनिट ने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त कर ली है तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति लंबित है जिसके कारण यूनिट दो तिहाई गतिविधियों को पूरा नहीं कर पाई है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कार्य को पूरा करने तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने में यूनिट को और दो वर्ष लगेंगे। इसलिए विकास आयुक्त ने यूनिट को दो साल का विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन तीसरे साल के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं इसलिए विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 25 सितंबर, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 17 जुलाई 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आईटी शास्त्र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो एमएडीसी एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

साफ्टवेयर विकास तथा आईटीईएस के लिए एलओपी दिनांक 18 जुलाई 2008 के माध्यम से एमएडीसी एसईजेड, नागपुर में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स आईटी शास्त्र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी

प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 17 जुलाई, 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने बताया है कि यूनिट ने निर्माण शुरू नहीं किया है क्योंकि पंजीकरण कार्यालय, नागपुर में पट्टा विलेख का पंजीकरण कराने में विलंब हुआ, अब 15 जुलाई 2011 को पंजीकरण हो गया है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि एसईजेड में यूनिटों के लिए विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने में विलंब हुआ है। विकासक ने एसईजेड से 14 किलोमीटर की दूरी पर मैसर्स अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर 240 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। हाल ही में उनको एसईजेड यूनिटों के लिए विद्युत वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। वितरण लाइनें बिछाई जा रही हैं तथा इस विद्युत संयंत्र से एसईजेड यूनिटों को विद्युत आपूर्ति अक्टूबर 2011 में आरंभ होने की उम्मीद है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यूनिट परियोजना को पूरा करने में सफल नहीं हुई है।

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन तीसरे साल के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए विकास आयुक्त, ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 17 जुलाई, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.17 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 29 अगस्त 2011 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स फाक्सकॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सिपकाट एसईजेड, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 30 अगस्त, 2007 के माध्यम से सिपकाट एसईजेड, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स फाक्सकॉन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट के एलओपी की अवधि समय समय पर बढ़ाई गई। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 29 अगस्त, 2011 तक वैध थी। यूनिट ने यह कहते हुए 6 माह की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि यह वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के करीब पहुंच गई है परंतु अन्य शुरुआती समस्याओं के कारण तथा आवश्यक उपकरण, सामग्री खरीदने में कुछ विलंब के कारण यह अगस्त 2011 के दौरान अपनी मूल योजना के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की स्थिति में नहीं है। तथापि, यूनिट ने बताया है कि यह अगले 3 माह के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

29 अगस्त, 2011 के बाद 6 माह की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 7 दिसंबर 2008 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स फाइनस्टार डायमंड जो एसईईपीजेड एसईजेड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई की एक यूनिट है, का अनुरोध

सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनम से बने प्लेन एवं स्टडेड ज्वैलरी के निर्माण एवं निर्यात के लिए एलओपी दिनांक 7 दिसंबर 2007 के माध्यम से एसईईपीजेड एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स फाइनस्टार डायमंड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 7 दिसंबर 2008 को समाप्त हो गई है क्योंकि यूनिट ने 7 दिसंबर 2008 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं किया है। यूनिट ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि वे यूएस बाजार में मंदी के कारण परियोजना लागू नहीं कर सके और उनके हाथ में पर्याप्त आर्डर नहीं थे। इसके अलावा एमआईडीसी ने 2 अप्रैल 2009 को ही परिसर आवंटित किया था और इसलिए वे एलओपी की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व परियोजना लागू नहीं कर सके। यूनिट ने 7 दिसंबर 2008 से एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि उन्होंने यूनिट को स्थापित करने के लिए काफी निवेश किया है तथा दो तिहाई गतिविधियां पूरी हो गई हैं।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने 08 दिसंबर, 2008 से वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध की सिफारिश की है।

भूतलक्षी प्रभाव से एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.18 : अनेकल तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में ''जैव प्रौद्योगिकी'' के लिए एसईजेड के सेक्टर की बायोटेक एवं फार्मास्युटिकल उत्पादों को शामिल करते हुए ''जैव फार्मास्युटिकल्स'' के रूप में ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड का अनुरोध

अनेकल तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में 35.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ''जैव प्रौद्योगिकी'' के लिए उपर्युक्त क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 01 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। 14 जनवरी 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में बायोटेक तथा फर्मास्युटिकल दोनों उत्पादों को शामिल करने के लिए बायो - फर्मास्युटिकल एसईजेड के रूप में एसईजेड के सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए विकासक के अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया था। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

''अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि विकास आयुक्त, कोचीन और क्षेत्रीय सीमा शुल्क आयुक्त यूनिट का दौरा करें तथा अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजें। तद्नुसार अगली बैठक के लिए प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।''

इस मामले में विकास आयुक्त, सीएसईजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा अनुबंध 11 के रूप में संलग्न है। इसके अलावा फर्मास्युटिकल विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग से इस मामले में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है। तथापि, उनकी टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.19 : तालुक शिरूर और खेड़, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्र एसईजेड के संबंध में डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित डीजल / ईंधन की ड्यूटी फ्री खरीद के लिए मैसर्स खेड़ इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

9 मार्च 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन समिति द्वारा उपर्युक्त बहु उत्पाद एसईजेड में डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित डीजल / ईंधन की ड्यूटी फ्री खरीदारी के लिए मैसर्स खेड़ इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया गया। समिति की यह राय थी कि सड़कों के निर्माण को विनिर्माण के रूप में मानते हुए तथा इसके लिए डीजल की अनुमति प्रदान करना विनिर्माण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। उपभोज्य की परिभाषा विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त मदों से संबंधित है और चूंकि सड़कों के निर्माण को विनिर्माण के रूप में नहीं माना जा सकता है इसलिए विस्तृत विचार विमर्श के बाद समिति ने डीजल / ईंधन की ड्यूटी फ्री खरीद के लिए विकासक के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ संदर्भित करने का निर्णय लिया। तद्नुसार प्रस्ताव को 31 मई 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया तथा आस्थगित कर दिया क्योंकि राजस्व विभाग ने प्रस्ताव की जांच करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया।

प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुनः प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.20 : रक्षा बलों को आपूर्ति के लिए एसईजेड में यूनिटें स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए अनुरोध

(i) सभी प्रकार के रक्षा एवं वाणिज्यिक शिप वेजल तथा उनके पार्ट्स के निर्माण, मरम्मत, रीफिट एवं परिवर्तन के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट मैसर्स एलएंडटी शिप बिल्डिंग लिमिटेड का आवेदन

निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स एलएंडटी शिप बिल्डिंग लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया है :

''सभी प्रकार के रक्षा एवं वाणिज्यिक शिप वेजल तथा उनके पार्ट्स का निर्माण, मरम्मत, रीफिट एवं परिवर्तन करना''

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने निम्नलिखित मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है :

क्र. सं.	उपकरण का विवरण	मात्रा प्रति वर्ष
1.	रक्षा / सामरिक वेजल	36
2.	विशेष प्रयोजन वेजल	20
3.	वाणिज्यिक शिप / वीएलसीसी	8
4.	रक्षा वेजल की मरम्मत / रीफिट तथा पार्ट्स / एग्रीगेट का निर्माण	100
5.	वाणिज्यिक शिप की मरम्मत / रीफिट तथा पार्ट्स / एग्रीगेट का निर्माण	100

चूंकि रक्षा उपकरण के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है तथा एसईजेड अधिनियम की धारा 9 (2) (ड.) के अनुसार ऐसे मामलों में अनुमोदन बोर्ड लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकरण है, जिसमें यह प्रावधान है कि अनुमोदन बोर्ड की शक्तियों में एसईजेड में स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक उपक्रम को लाइसेंस प्रदान करना शामिल है। अनुमोदन बोर्ड उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 में किसी बात के निहित होते हुए भी उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 3 के खंड घ में संदर्भित औद्योगिक उपक्रम को लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग करेगा यदि ऐसा उपक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र में पूर्णत: या अंशत: स्थापित किया जाता है या स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। तद्नुसार विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का अनुरोध किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) हेलीकाप्टर के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स इंडियन रोटोक्राफ्ट लिमिटेड का आवेदन

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने सूचित किया है कि मैसर्स इंडियन रोटोक्राफ्ट लिमिटेड ने हेलीकाप्टर के निर्माण के लिए समशावाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में जीएमआर एयरोस्पेस पार्क एसईजेड में रक्षा उत्पादन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। डीआईपीपी ने बताया है कि एसईजेड में रक्षा यूनिटें स्थापित करने पर चर्चा के लिए 30 नवंबर 2010 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 9 के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड एसईजेड में रक्षा यूनिटें स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकरण है और अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने पर अनुमोदन बोर्ड के कार्यवृत्त की प्राप्ति में डीआईपीपी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसलिए डीआईपीपी ने एसईजेड अधिनियम की धारा 9 के अनुसार हेलीकाप्टर के निर्माण के लिए एसईजेड यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स इंडियन रोटोक्राफ्ट लिमिटेड के प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का अनुरोध किया है।

तद्नुसार मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) एयरोस्पेस तथा अन्य उद्योगों के लिए हाई प्रिसीजन कंपोनेंट के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स पीएमआई इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, का आवेदन

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने सूचित किया है कि मैसर्स पीएमआई इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एयरोस्पेस तथा अन्य उद्योगों के लिए हाई प्रिसीजन कंपोनेंट के निर्माण के लए एमईपीजेड में रक्षा उत्पादन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। डीआईपीपी ने बताया है कि एसईजेड में रक्षा यूनिटें स्थापित करने पर चर्चा के लिए 30 नवंबर 2010 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 9 के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड एसईजेड में रक्षा यूनिटें स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकरण है और अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने पर अनुमोदन बोर्ड के कार्यवृत्त की प्राप्ति में डीआईपीपी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसलिए डीआईपीपी ने एसईजेड अधिनियम की धारा 9 के अनुसार एयरोस्पेस एवं अन्य उद्योगों के लिए हाई प्रिसीजन कंपोनेंट के निर्माण के लिए एसईजेड यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स पीएमआई इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का अनुरोध किया है।

तद्नुसार मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.21 : मैसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) जो डीटीए की यूनिट है, के लिए जॉब वर्क प्रोसेसिंग करने के लिए मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड जो वड़ोदरा, गुजरात में मैसर्स सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

फोर्जिंग रिंग के निर्माण और निर्यात के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। यूनिट ने बताया है कि उन्होंने एक डीटीए यूनिट अर्थात मिधानी जो रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम है, से आर्डर प्राप्त किया है और वे एसईजेड में इस डीटीए यूनिट के लिए जॉब वर्क तथा डीटीए के लिए परवर्ती क्लियरेंस करना चाहते हैं। इसलिए यूनिट ने डीटीए यूनिट के लिए जॉब वर्क करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड ने सूचित किया है कि एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 43 के अनुसार कोई एसईजेड यूनिट डीटीए यूनिट / निर्यातक की ओर से सब कंट्रेक्टिंग (जॉब वर्क) कर सकती है परंतु उक्त माल का निर्यात सीधे एसईजेड से होना चाहिए। एसईजेड नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एसईजेड यूनिट एसईजेड में डीटीए यूनिट की ओर से जॉब वर्क कर सकती है और फिर एसईजेड में की गई प्रोसेसिंग के कारण मूल्य वृद्धि के ऐसे अनुपात पर शुल्क का भुगतान करके भी प्रोसेसिंग के बाद डीटीए यूनिट को उसे वापस कर सकती है।

विकास आयुक्त ने यह भी बताया है कि एक सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 39/96 - सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 1996 है जिसमें भारत से निर्यात किए गए और निर्धारित प्रक्रिया (अर्थात कोटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या पॉलिशिंग या ऐसी प्रक्रियाओं के एक या अधिक संयोजन) के बाद पुन: आयात किए गए निर्दिष्ट माल के लिए छूट उपलब्ध है। इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग का उदाहरण उपलब्ध है जिसके लिए देश में अपेक्षित प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है।

मैसर्स एसई फोर्ज ने फोर्ज्ड एवं मशीन रिंग में स्टील बिलेट को परिवर्तित करने के लिए जर्मन प्लांट एवं उपकरण पर आधारित फोर्जिंग एवं मशीनिंग के लिए अधुनातन प्रौद्योगिकी प्राप्त की है जिसके लिए लार्ज प्रोफाइल्ड रिंग की प्रिसीजन मशीनिंग के लिए क्षमता के साथ बहुत उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। यह प्रौद्योगिकी इस समय एसई फोर्ज को छोड़कर देश में उपलब्ध नहीं है (अपेक्षित आकार एवं क्षमता के लिए)।

विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि यूनिट ने अपनी संविदा के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर मिधानी से प्राप्त आर्डर की सप्लाई की है तथा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 43 और 47 में छूट प्रदान करके राष्ट्र हित में जॉब वर्क करने के लिए यूनिट को विशेष अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 48.22 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) विनिर्माण की गतिविधि अर्थात आयातित स्क्रैप को अलग करने के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स फ्यूचरिस्टिक मेटल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की अपील

मैसर्स फ्यूचरिस्टिक मेटल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने विनिर्माण की गतिविधि अर्थात आयातित स्क्रैप को अलग करने के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया था। यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा आवेदन पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया। पत्र दिनांक 16 जून, 2011 के माध्यम से आवेदक को निर्णय के बारे में सूचित किया गया। अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स फ्यूचरिस्टिक्स मेटल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 12 के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) ग्लोबस मेटल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने विनिर्माण की गतिविधि अर्थात आयातित स्क्रैप को अलग करने के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया था।

मैसर्स ग्लोबस मेटल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने विनिर्माण की गतिविधि अर्थात आयातित स्क्रैप को अलग करने के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन किया था। यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा आवेदन पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया। पत्र दिनांक 16 जून, 2011 के माध्यम से आवेदक को निर्णय के बारे में सूचित किया गया। अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स ग्लोबस मेटल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 13 के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) 28 जून 2011 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध मैसर्स सनमिना - एससीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सिपकॉट एसईजेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स सनमिना - एससीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पार्ट्स, कंपोनेंट तथा असेसरीज सहित इलेक्ट्रि हार्डवेयर उत्पाद के निर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए 5 मार्च 2009 को एलओए प्रदान किया गया था। यूनिट ने नीचे उल्लिखित परिदृश्य में हार्डवेयर उत्पादों की मरम्मत / रीइंजीनियरिंग को शामिल करने के लिए एलओए में संशोधन करने के लिए अनुरोध किया था।

- **परिदृश्य 1 : अपीलकर्ता द्वारा निर्मित तथा वारंटी एवं वारंटी पश्चात दोनों अवधि के दौरान भारत में स्थित ग्राहकों को बेचे गए इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उत्पादों की मरम्मत;**
- **परिदृश्य 2 : एससीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित तथा वारंटी एवं वारंटी पश्चात दोनों अवधि के दौरान भारत के बाहर ग्राहकों को बेचे गए इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उत्पादों की मरम्मत;**

- **परिदृश्य 3 : सनमिना ग्रुप द्वारा निर्मित तथा वारंटी एवं वारंटी पश्चात दोनों अवधि के दौरान भारत में तथा भारत के बाहर स्थित ग्राहकों को बेचे गए इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उत्पादों की मरम्मत;**
- **परिदृश्य 4 : भारत में एवं विदेश में तीसरे पक्षों द्वारा निर्मित तथा वारंटी एवं वारंटी पश्चात दोनों अवधि के दौरान भारत में तथा भारत के बाहर स्थित ग्राहकों को बेचे गए इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उत्पादों की मरम्मत;**

28 जून 2011 को यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुरोध पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया :

- **अपीलकर्ता द्वारा अपनी एसईजेड यूनिट में निर्मित मूल उत्पादों की मरम्मत;**
- **अपीलकर्ता की विदेशी ग्रुप कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों की मरम्मत;**
- **तीसरे पक्ष के विदेशी विनिर्माताओं द्वारा निर्मित उत्पादों की मरम्मत।**

यूनिट ने बताया था कि यूनिट अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित कार्य करने के लिए अपीलकर्ता के अनुरोध को विशेष रूप से अनुमोदित नहीं किया है :

- **अपीलकर्ता द्वारा निर्मित तथा मरम्मत के लिए इसके अपने ग्राहकों से प्राप्त इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उत्पादों की मरम्मत जिसके बाद माल वापस डीटीए को भेजा जाएगा (जिसका मरम्मत के बाद देश के बाहर पुन: निर्यात नहीं किया जाता है);**
- **अपीलकर्ता की मूल / ग्रुप कंपनी द्वारा निर्मित तथा मरम्मत के लिए अपीलकर्ता को भेजे गए इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उत्पादों की मरम्मत जिसके बाद माल वापस डीटीए को भेजा जाएगा (जिसका मरम्मत के बाद देश के बाहर पुन: निर्यात नहीं किया जाता है);**
- **तीसरे पक्ष के विदेशी विनिर्माताओं द्वारा निर्मित तथा मरम्मत के लिए अपीलकर्ता को भेजे गए इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उत्पादों की मरम्मत जिसके बाद माल वापस डीटीए को भेजा जाएगा (जिसका मरम्मत के बाद देश के बाहर पुन: निर्यात नहीं किया जाता है);**
- **तीसरे पक्ष के भारतीय विनिर्माताओं द्वारा निर्मित तथा मरम्मत के लिए अपीलकर्ता को भेजे गए इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उत्पादों की मरम्मत जिसके बाद माल वापस डीटीए को भेजा जाएगा (जिसका मरम्मत के बाद देश के बाहर पुन: निर्यात नहीं किया जाता है);**

इसलिए उपर्युक्त से व्यथित यूनिट ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अपील दाखिल करने के कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 14 के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को निरस्त करने के संबंध में विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स मैकलॉयड पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील

सभी प्रकार के प्लास्टिक बैग, घरेलू मदों तथा प्लास्टिक ग्रेन्यूल / श्रेडिंग, ग्राइंडिंग, पीस, क्रशिंग, शीट, एक्सट्रूटेड और माउल्डेड आर्टिकल आदि के निर्माण के लिए 15 अक्टूबर 1997 को मैसर्स मैकलॉयड पॉलीमर्स प्राइवेट

लिमिटेड को एलओपी जारी किया गया था। यूनिट ने 31 अक्टूबर 2005 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। एलओपी दिनांक 30 मई 2005 के माध्यम से सूरत एसईजेड द्वारा 5 साल की अवधि के लिए अर्थात 31 अक्टूबर 2010 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई गई। तथापि, 22 जून 2005 को सूरत एसईजेड द्वारा यह कहते हुए एलओपी की वैधता अवधि निरस्त कर दी गई थी कि परियोजना में प्लास्टिक अपशिष्ट और स्क्रैप का आयात शामिल है तथा अग्रेतर अनुमति प्रदान करने के लिए ऐसी परियोजना पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए अनुरोध अग्रेषित नहीं किया गया। यूनिट ने बताया है कि उनका इंट्री बिल नंबर एसएसईजेड/डीटीए/238/9/07-08 दिनांक 14 अगस्त 2007 तथा माल क्लियर किया गया जो इस बात का प्रमाण है कि एलओपी वैध है। यह भी बताया गया है कि आज तक उनका अग्रिम इंट्री बिल अनुमोदित नहीं हुआ है जिसके फलस्वरूप वे माल क्लियर नहीं करा पाए हैं तथा कंसाइनमेंट को भारी नुकसान हो रहा है। यूनिट ने बताया है कि उन्होंने अतीत में सूरत एसईजेड तथा केएएसईजेड को असंख्य अभिवेदन प्रस्तुत किया है परंतु कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए यूनिट ने अपील में निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया है :

(i) **31 अक्टूबर 2010 तक एलओपी की अवधि बढ़ाए जाने की पुष्टि**
(ii) **30 मई 2015 तक 5 साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाना**
(iii) **अग्रिम इंट्री बिल का अनुमोदन।**

13 जुलाई, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अपील पर विचार किया गया तथा प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिटों के लिए नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक आस्थगित कर दिया गया था। यूनिट ने यह कहते हुए अपनी अपील का यथाशीघ्र निर्णय करने का अनुरोध किया है कि उसे भारी क्षति हो रही है क्योंकि वह माल को क्लियर करने की स्थिति में नहीं है।

यूनिट की अपील अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

****